Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बीकानेर में पुलिस थाना नयाशहर का पुलिस कानिस्टेबल 30 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *09 जनवरी, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बीकानेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये बुधराम कानिस्टेबल, पुलिस थाना नयाशहर, जिला बीकानेर को परिवादी से 30 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की बीकानेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि पुलिस अभिरक्षा में मारपीट नहीं करने, रिमाण्ड नहीं लेने एवं भाई को नहीं फंसाने की एवज में बुधराम कानिस्टेबल, पुलिस थाना नयाशहर, जिला बीकानेर द्वारा **50 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी बीकानेर के **पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार विश्नोई** के सुपरवीजन में एसीबी बीकानेर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश पूनियाँ** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री आनन्द मिश्रा** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये बुधराम पुत्र श्री धनराज निवासी गौडू, तहसील बज्जू, पुलिस थाना बज्जू, जिला बीकानेर हाल कानिस्टेबल, पुलिस थाना नयाशहर, जिला बीकानेर को परिवादी से **30 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी कानिस्टेबल द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से **5 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।